चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ''पत्थर गिरोह'' का भंडाफोड़, 8 आरोपियों को रायगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

- आरोपियों की गिरफ्तारी से रायगढ़ की 5 चोरियों का हुआ खुलासा
- गिरोह ने रायगढ़ समेत दुर्ग, बलौदा बाजार व जांजगीर चांपा में मकानों के तोड़े थे ताले
- रायगढ़, दुर्ग व बलौदा बाजार पुलिस की संयुक्त विशेष टीम ने एमपी के अलिराजपुर, धार और झाबुआ में दी दबिश
- आरोपियों से डेढ़ किलो चांदी के जेवरात, 06 मोबाइल और औजार किए गए जब्त

रायगढ़

रायगढ़ और राज्य के कई जिलों में सुने मकानों की रैकी कर चोरी करने अंतर्राज्यीय ''पत्थर गिरोह'' के 06 आरोपियों और उनसे चोरी की जेवरात खरीदी करने वाले 02 आरोपियों को रायगढ़ पुलिस की टीम द्वारा अलिराजपुर मध्यप्रदेश से गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। आरोपियों से डेढ किलो चांदी, 06 मोबाइल और चोरी में प्रयुक्त औजार बरामद किया गया है। आरोपियों ने अपने बयान में रायगढ़ जिले के कृष्णा विहार कोलानी (थाना कोतरारोड़), ग्राम बेलारी, मुरालीपाली में जगह (थाना भूपदेवपुर), सांगीतराई (थाना जूटमिल) में चोरी के अलावा राज्य के अन्य कई जिलों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किये है। गिरोह का मास्टर मांइड आलम सिंह बामनिया और सूर्या उर्फ सुअर मोहनिया हैं, दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ''पत्थर गिरोह'' के सदस्य घूम-घूम कर पहले घरों की रैकी और फिर घटना को अंजाम देते हैं। इस गैंग में शामिल 16 व्यक्तियों ने चोरी के लिये अलग-अलग 04 गैंग बनाकर रखे हुये थे।

माह फरवरी 2024 को थाना कोतरारोड़, जिला रायगढ़ के कृष्णाविहार कालोनी स्थित अंकित अग्रवाल के सुने मकान में 06-07 फरवरी की रात अज्ञात आरोपियों द्वारा दरवाजा का डोर लॉक तोड़कर अंदल अलमारी को तोड़े और सोने-चांदी के जेवरात करीब 1,35,000 रूपये का चोरी कर ले गये थे, इस संबंध में थाना कोतरारोड़ में अज्ञात आरोपी पर अपराध क्रमांक 57/2024 धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया था। इसी दरम्यान शहर में हुई अन्य चोरियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा माल मुल्जिम की शीघ्र पतासाजी के लिये डीएसपी (साइबर सेल) अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में साइबर सेल और थाना कोतरारोड़ की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

माल मुल्जिम की लगातार पतासाजी दौरान डीएसपी अभिनव की टीम द्वारा ''पत्थर गिरोह'' के मास्टर माइंड आलम सिंह बामनिया को 07 अप्रैल को जूटमिल इलाके में रैकी करते समय संदिग्ध अवस्था में हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ में उसने कोतरारोड़ व जिले के अन्य क्षेत्रों में अपने गिरोह के सदस्यों के साथ चोरी करना बताया जिसका पुलिस 04 दिन पुलिस रिमांड लेकर विस्तृत पूछताछ कर गिरोह के सदस्यों की जानकारी ली गई। आरोपी से प्राप्त जानकारी अन्य जिलों से साझा किया गया।

पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर डॉ0 संजीव शुक्ला के दिशा-निर्देशन पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और माल मशरूका बरामदगी के लिये के जिला रायगढ़, बलौदा बाजार, दुर्ग की संयुक्त विशेष टीम गठित किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर डीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में विशेष टीम को अलिराजपुर, धार, झाबुआ (मध्यप्रदेश) के लिये रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा अलिराजपुर के विभिन्न इलाकों में आरोपियों की सघन पतासाजी कर गिरोह की 02 महिला- पेमली बाई, गम बाई और 02 पुरूष- चाम सिंह बामनिया, जालम मोहनिया को हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ कर इनसे चोरी की सामाग्री खरीदी करने वाले अलिराजपुर के 02 व्यक्ति-रोहित सोनी, दिलीप सोनी को गिरफ्तार कर कुल 06 आरोपियों का स्थानीय न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लेकर रायगढ़ लाया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ पर इनके एक अन्य साथी सूर्या उर्फ सुअर को पुलिस ने कोतरारोड के किरोड़ीमल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग के सदस्यों ने 15 दिसंबर को ग्राम बेलारी (भूपदेवपुर) में तथा ग्राम मुरालीपाली में 17-18 फरवरी की रात दो घरों में चोरी किये हैं तथा 19 फरवरी को जूटमिल के सांगीतराई के मकान में चोरी किये थे। अब तक गिरफ्तार 08 आरोपियों के मेमोरेंडम पर थाना कोतरारोड़ के अप.क्र. 57/24, थाना भूपदेवपुर का अप.क्र .183/23, 22/24 एवं 23/24 तथा थाना जूटमिल के अप.क्र. 86/24 का खुलासा हुआ है। कुल 1.445 किलोग्राम चांदी के आभूषण, खर्च के बाद बचे नकदी रकम कुल 19,670 रूपये, 02 मोबाइल, औजार- 02 स्क्रू पाना, 02 प्लास, 04 पेचकस, 01 हेक्सा ब्लेड, रॉड, कटर, टार्च, कपडे का मास्क जप्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी -

1. आलम सिंह बामनिया पिता ढूढीया बामनिया उम्र 48 साल निवासी ग्राम छडावद नरवाली थाना टांडा जिला धार मध्यप्रदेश (रिमांड बाद आरोपी जेल दाखिल)
2. सूर्या उर्फ सुअर मोहनिया पिता बुधु मोहनिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम पोहा थाना उदयगढ़ जिला अलिराजपुर मध्यप्रदेश
3. जालम मोहनिया पिता बुधु मोहनिया उम्र 32 साल निवासी ग्राम पोहा थाना उदयगढ़ जिला अलिराजपुर मध्यप्रदेश
4. चामसिंह बामनिया पिता ढूढीया बामनिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम छडावद नरवाली थाना टांडा जिला धार मध्यप्रदेश
5. पेमली बाई पति लाला मुएल उम्र 32 साल निवासी ग्राम पोहा थाना उदयगढ़ जिला अलिराजपुर मध्यप्रदेश
6. गम बाई पति सेकू मुएल उम्र 43 साल ग्राम पोहा थाना उदयगढ़ जिला अलिराजपुर मध्यप्रदेश

चोरी की सम्पत्ति खरीदी करने वाले आरोपी

7. दिलीप सोनी पिता जमक सोनी उम्र 53 साल निवासी बोरी रोड़ पुलिस चौकी पारा थाना सिटी कोतवाली झाबुआ, मध्यप्रदेश
8. रोहित सोनी पिता दिलीप सोनी उम्र 28 साल निवासी बोरी रोड़ पुलिस चौकी पारा थाना सिटी कोतवाली झाबुआ, मध्यप्रदेश

जब्त संपत्ति –

कुल 1.445 किलोग्राम चांदी के आभूषण कीमत करीब 1,10,000 रूपये। खर्च के बाद बचे नकदी रकम कुल 19,670 रूपये, 06 मोबाइल (18,000 रूपये), औजार-02 स्क्रू पाना, 02 प्लास, 04 पेचकस, 01 हेक्सा ब्लेड, रॉड, कटर, टार्च, कपडे का मास्क। जुमला कीमती करीब - 1,48,000 रूपये।

गिरोह के वारदात का तरीका- ये अपने थैले में पाना, पेचकस, पत्थर रखे होंते हैं। दिन के समय घूम-घूम कर सुने घरों की रैकी और रात में सुनियोजित तरीके से चोरी को अंजाम देते थे। आरोपी स्थानीय ज्वेलर्स दिलीप सोनी और उसके बेटे रोहित सोनी के पास चोरी का माल बेचते थे। ज्वेलर्स उन जेवरातों को पिघला कर उनसे नये आभूषण क्रय कर दुकान पर बेचता था।

प्रकरण के खुलासा में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका – डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय, निरीक्षक राकेश मिश्रा थाना प्रभारी कोतरारोड़, सउनि हेम सागर पटेल, प्रधान आरक्षक करूणेश राय, महिला प्रधान आरक्षक जेनिपा पन्ना (थाना पुसौर), चंद्रेश पांडेय, टिकेश्वर यादव, रवि सिंह तथा सााइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, बृजलाल गुर्जर, रेणु मंडावी, धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, महेश पंडा, प्रताप बेहरा, विकास प्रधान, नवीन शुक्ला, सुरेश सिदार, विक्रम सिंह, रविन्द्र गुप्ता, जिला दुर्ग के एसआई पारस ठाकुर, बलौदाबाजार जिले के प्रधान आरक्षक अंशुमन पांडे, अमोल कंवर और छसबल आरक्षक सुदर्शन पांडे की अहम भूमिका रही है।

महत्वपूर्ण एवं खास

रामनवमी 17 अप्रैल को शुष्क अवधि घोषित

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लोकशांति के परीरक्षण हेतु 17 अप्रैल 2024 रामनवमी के दिन जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित मदिरा दुकानों, होटल बारों तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार, रायगढ़ को अपरान्ह 2 बजे से बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

अग्रिसुरक्षा जागरूक करने जवानों ने निकाली वाहन रैली

धमतरी (आरएनएस)। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर आज जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी शोभा ठाकुर के नेतृत्व में अग्निशमन केंद्र धमतरी में अग्निशमन व नगरसेना के जवानों को 14 अप्रैल 1944 को बंबई के विक्टोरिया डाकयार्ड में हुए अग्नि दुर्घटना में शहीद जवानों का स्मरण कराकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जनता को अग्निसुरक्षा हेतु जागरूक करने फायर व नगर सेना के जवानों की वाहन रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। यह रैली शहर के मुख्य चौक-चौराहों सिहावा चौक, मकई चौक, रत्नाबांधा चौक, अंबेडकर चौक, लक्ष्मी निवास चौक एवं रुद्री चौक से होते हुए वापस फायर स्टेशन पहुंची। गौरतलब है कि 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। अग्निसुरक्षा सप्ताह के अवसर पर अग्नि दुर्घटना से जागरूकता संबंधी अन्य गतिविधियां सप्ताह भर विभाग द्वारा आयोजित की जायेगी।

रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए आज 4 अभ्यर्थियों ने लिये नामांकन पत्र, 1 अभ्यर्थी ने किया नामांकन जमा

- लोकसभा निर्वाचन-2024

रायगढ़

लोकसभा निर्वाचन-2024 अन्तर्गत नाम निर्देशन पत्र लेने एवं जमा करने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक-02 के लिए आज 4 नाम निर्देशन फॉर्म लिए गए। जिनमें डॉ.मेनका देवी सिंह-इंडियन नेशनल कांग्रेस, भवानी सिंह सिदार-हमर राज पार्टी, अल्बर्ट मिंज-हमर राज पार्टी एवं उदय कुमार राठिया-हमर राज पार्टी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिए गये।

इसी तरह एक अभ्यर्थी द्वारा आज नामांकन फार्म जमा किया गया है। जिनमें राधेश्याम राठिया-भारतीय जनता पार्टी ने 2 सेट में नामांकन फार्म जमा किया। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल अपरान्ह 03 बजे तक है। 17 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होने से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने और जमा करने का कार्य बंद रहेगा।

पशु तस्करों के कब्जे से 45 मवेशियों को तमनार पुलिस ने कराया मुक्त, मवेशी तस्करी करते पकड़े गए 4 आरोपियों पर की गई पशुक्रूरता की कार्यवाही

रायगढ़

दिनांक 14/04/2024 के रात्रि थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर को सूचना मिला कि रोडोपाली से मुडागांव जाने वाले रास्ते में कुछ पशु तस्कर कृषक मवेशियों को क्रूरतापूर्वक मारते पीटते पैदल लेकर जा रहे हैं। तत्काल थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ कार्रवाई के लिए ग्राम रोडोपाली पहुंचे। जहां गांव के सुरेन्द्र डेहरी ने बताया कि उन्होंने चार व्यक्तियों को मवेशियों को मारते पीटते लेकर जाते हुए रोका और सूचना दी है। मौके पर तमनार पुलिस ने चार पशु तस्कर आरोपी (1) मनोज यादव पिता शंख प्रसाद यादव उम्र 19 साल निवासी छर्राटांगर थाना पूंजीपथरा (2) बुद्धू राम एक्वा पिता बिहानू एक्का उम्र 44 साल निवासी नारायणपुर मुड़ापारा थाना लैलूंगा (3) रमेश कुमार मांझी पिता लक्ष्मण मांझी 31 साल नारायणपुर मुड़ापारा थाना लैलूंगा (4) गुरुदेव ध्रुव पिता शुभम ध्रुव उम्र 45 साल निवासी लपई थाना कांसाबेल जिला जशुपुर के कब्जे से 45 नग कषिधन मवेशियों को पुलिस कब्जे में लेकर उनके चारा पानी की व्यवस्था की गई। प्रार्थी सुरेंद्र डेहरी के रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना तमनार में अपराध क्रमांक 123/2024 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर के निर्देशन पर कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक खेमराज पटेल, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया, आरक्षक भीष्मदेव सागर, पुरुषोत्तम सिदार और अनुप मिंज शामिल थे।

महिला के आत्महत्या के मामले में पति पर दुष्प्रेरण का अपराध दर्ज, पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़

जूटमिल पुलिस द्वारा महिला के फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले उसके पति पर दुष्प्रेरण का अपराध दर्ज करते हुए आरोपी को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार दिसंबर 2021 में प्रीति खड़िया की शादी ग्राम गुडगहन में रहने वाले आनंद कुमार खड़िया के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक दोनों पति-पत्नी अच्छे से रह रहे थे। इसी बीच आनंद खड़िया उसकी पत्नी प्रीति को बोला कि वह परिवार के दबाव में आकर उससे शादी किया है उसकी पसंद कोई और लड़की थी। इस बात से प्रीति आहत हुई। उसके बाद आनंद खड़िया छोटी-छोटी बातों को लेकर प्रीति को मारपीट कर परेशान करता था। प्रीति अपने मायके वालों को पति के झगड़ा विवाद की बाते बताती थी। घरवाले आनदं को समझाएं भी पर उसका कोई असर आनंद पर नहीं हुआ। आनंद की लगातार उपेक्षा और मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर प्रीति 17 फरवरी 2024 के शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतिका नव विवाहिता होने से मर्ग पंचनामा कार्यवाही कार्यपालिका दंडाधिकारी पुसौर द्वारा पंचनामा कार्यवाही किया गया। जांच में महिला के पति आनंद कुमार खड़िया पिता संतोष खड़िया उम्र 30 साल निवासी गुड़गहन थाना जूटमिल जिला रायगढ़ द्वारा प्रीति खड़िया को आत्महत्या करने के लिए दुष्परित करना पाए जाने पर जूटमिल पुलिस द्वारा मृतिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर जांच में पाये गये साक्ष्य अनुरूप आरोपी मर्ग जांच से अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 306 आईपीसी कायम कर आज आरोपी आनदं खड़िया को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। संवेदनशील प्रकरण की जांच विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक अमृतलाल साहू तथा जांचकर्ता प्रधान आरक्षक मोहम्मद दिलदार कुरैशी की विशेष भूमिका रही है।

शराब रेड की अलग-अलग कार्यवाई में पूंजीपथरा पुलिस ने दो व्यक्तियों से जब्त की 35 लीटर महुआ शराब

- आरोपियों पर की गई आबकारी एक्ट की कार्रवाई

रायगढ़

थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पूंजीपथरा पुलिस द्वारा कल ग्राम तराईमाल के उरांव मोहल्ला में दो व्यक्तियों को अवैध महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी सहेश लाल उरांव पिता झूलन उरांव उम्र 43 वर्ष साकिन तराईमाल को पकड़ा जिसके कब्जे से 25 लीटर अवैध महुआ शराब किमती 2,500 रूपये तथा आरोपी मनोहर उरांव पिता धोबा राम उरांव उम्र 30 वर्ष साकिन तराईमाल के कब्जे से 10 लीटर महुआ शराब कीमत रु.1,000 की जप्ती की गई है। दोनों आरोपियों पर थाना पूंजीपथरा में पृथक-पृथक अप.क्र. 106, 107/2024 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सउनि चंदन सिंह नेताम, सउनि विजय कुमार एक्का, प्रधान आरक्षक अमित तिर्की, विनीत तिर्की, नंद साय कंवर, आरक्षक महिला आरक्षक पितांबर पटेल, निर्दोष लकड़ा, महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।

सी-विजिल एप पर कोई भी नागरिक कर सकते है आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत

रायगढ़

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के मामलों की ऑनलाइन शिकायत के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा खास तौर पर तैयार किए गए सी-विजिल एप पर कोई भी व्यक्ति यदि उसे कहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला नजर आता है तो अपने मोबाइल से लाइव फोटो या वीडियो केप्चर कर इसकी शिकायत कर सकते है।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए नए सी-विजिल ऐप नागरिकों के लिए निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए एक नवोन्मेषी मोबाइल ऐप्लिकेशन है। सी-विजिल का अर्थ जागरूक नागरिक है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन में नागरिकों द्वारा निभाई जा सकने वाली सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका पर जोर देती है।

सी-विजिल एक उपभोक्ता अनुकूल एंड्रॉइड एप्लिकेशन है जिसे संचालित करना आसान है, जिसका उपयोग निर्वाचन तिथियों की घोषणा की तारीख से उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशिष्टता यह है कि यह केवल लाइव फोटो/वीडियो और ऐप के भीतर से ऑटो लोकेशन ही कैप्चर करता है ताकि फ्लाइंग स्क्वॉड को समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए डिजिटल साक्ष्य मिलना सुनिश्चित हो सके। नागरिक एक तस्वीर पर क्लिक करता है या 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करता है। फोटो अथवा वीडियो को भौगोलिक सूचना प्रणाली द्वारा स्वचालित लोकेशन मैपिंग के साथ ऐप पर अपलोड किया जाता है। इसके सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद इसे ट्रैक करने और अपने मोबाइल पर अपडेट प्राप्त करने के लिए नागरिक को एक यूनिक आईडी मिलती है। नागरिक इस तरह से कई घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है और उसे अनुवर्ती अपडेट के लिए प्रत्येक रिपोर्ट के लिए एक विशिष्ट आईडी प्राप्त होगी। ऐप के प्रयोक्ता के पास सी-विजिल ऐप के माध्यम से बेनामी रूप से शिकायतें दर्ज करने का विकल्प होता है। उस स्थिति में, सिस्टम को मोबाइल नंबर और अन्य प्रोफाइल संबंधी विवरण नहीं भेजे जाते हैं। हालांकि, बेनामी शिकायतों के मामले में, प्रयोक्ता को आगे की स्थिति के संदेश नहीं मिलेंगे क्योंकि सिस्टम फोन के विवरण को कैप्चर नहीं करेगा। हालांकि, नागरिकों के पास संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से ऐसी शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी सूचना का विकल्प है।

नागरिक द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद सूचना जिला नियंत्रण कक्ष में आ जाती है, जहाँ से उसे फील्ड यूनिट को सौंपा जाता है। एक फील्ड यूनिट में उडऩदस्ता, स्थैतिक निगरानी टीम, रिजर्व टीम आदि होते हैं। प्रत्येक फील्ड यूनिट में एक जीआईएस-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन होगा, जिसे सी-विजिल इंवेस्टीगेटर कहा जाता है, जिससे फील्ड यूनिट जीआईएस संकेतों और नेविगेशन तकनीक का अनुसरण करके सीधे लोकेशन पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है।

फील्ड यूनिट में शिकायत पर कार्रवाई होने के बाद, उनके द्वारा निर्णय और निपटान के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अन्वेषक ऐप के माध्यम से फील्ड रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाती है। यदि घटना सही पाई जाती है, तो सूचना को भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल पर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाता है और जागरुक नागरिक को 100 मिनट के भीतर स्थिति के बारे में सूचित किया जाता है। इस ऐप के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस ऐप में अंतर्निहित विशेषताएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं सूचीबद्ध हैं। सी-विजिल ऐप्लीकेशन केवल उन राज्यों की भौगोलिक सीमा के भीतर उपयोग की जा सकेगी, जहां निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं। सी-विजिल प्रयोक्ता को चित्र या वीडियो क्लिक करने के बाद किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा। ऐप पहले से रिकॉर्ड की गई छवियों/वीडियो को अपलोड नहीं करने देगा, न ही यह प्रयोक्ताओं को सीधे फोन गैलरी में इस ऐप से क्लिक की गई तस्वीरों/वीडियो को सेव करने देगा। सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने और एक ही स्थान से शिकायतों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, सिस्टम एक ही व्यक्ति द्वारा एक के बाद लगातार शिकायतों के बीच 5 मिनट का विलम्ब रखता है।

जिला नियंत्रक के पास फील्ड यूनिट को केस सौंपे जाने से पहले ही डुप्लिकेट, मामूली और अप्रासंगिक मामलों को छोडऩे का विकल्प होता है। सीविजिल ऐप्लीकेशन का उपयोग केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए किया जाना चाहिए। यदि सीविजिल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत शिकायतें दर्ज की जाती हैं या सीविजिल शिकायत का डिजिटल अनुलग्नक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से असंबंधित पाया जाता है, तो जिला नियंत्रक किसी भी आगे की कार्रवाई के बिना किसी सीविजिल शिकायत को छोड़ सकता है। इसलिए नागरिकों को शिकायतों को दर्ज करने के लिए ईसीआई की मुख्य वेबसाइट का उपयोग करने या 1800111950 पर राष्ट्रीय संपर्क केंद्र में या 1950 में राज्य संपर्क केंद्र में कॉल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एंड्रॉइड या आई ओ एस स्मार्टफोन में कर सकते है एप स्टॉल

सी-विजिल एप को गूगल प्ले स्टोर या आयोग की वेबसाइट से मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इस एप का इस्तेमाल करने के लिए शिकायतकर्ता के मोबाइल पर जीपीएस और इंटरनेट चालू होना आवश्यक है। इस एप्लिकेशन का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक कदाचार की घटनाओं को देखते ही तत्काल कुछ ही मिनट में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। सी-विजिल जागरूक नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फील्ड यूनिट (फ्लाइंग स्क्वॉड)/ स्थैतिक निगरानी दलों के साथ जोड़ता है, जिससे एक तीव्र और सटीक रिपोर्टिंग, कार्रवाई और निगरानी प्रणाली का निर्माण होता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480